न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़

पीठासीन अधिकारी :– ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र संख्या:– 106/2024

1. रामावतार पुत्र छोटा
2. हरिराम पुत्र छोटा
3. सुभाष पुत्र छोटा
4. रामा देवी पत्नी छोटा
   निवासीयान मालियो की ढाणी तन खेड़ा तहसील बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज.
5. संतोष पुत्री छोटा पत्नी राजेन्द्र जाति माली निवासी भैरू जाट के पास, बर्डोद जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज.

––अपीलान्टस

बनाम

1. श्रीमती भगोती देवी पत्नी स्व. श्री सूरजा
2. पूरण पुत्र स्व. सूरजा
3. मोनिका मोनिका देवी पत्नी स्व. हीरालाल
4. मुस्कान पुत्री स्व. हीरालाल नाबालिक संरक्षक माता मोनिका
5. तन्नु पुत्री स्व. हीरालाल नाबालिक सरंक्षक माता मोनिका
6. प्रिंस पुत्र स्व. हीरालाल नाबालिक सरंक्षक माता मोनिका
7. पलक पुत्री स्व. बलबीर नाबालिक सरंक्षक माता तारा देवी
   समस्त जातियान माली निवासी मालियो की ढाणी तन खेड़ा तहसील बानसूर जिला अलवर, राज०
8. सावित्री पुत्री स्व. सूरजा पत्नी अशोक जाति माली निवासी ढाणी बागवाली, बीएसएनएल ऑफिस के पास, कोटपूतली
9. रामेश्वर पुत्र महादेवा जाति माली
10. मातादीन पुत्र महादेवा जाति माली
11. सुरमल पुत्र महोदवा जाति माली
12. बाबूलाल पुत्र महादेवा जाति माली
13. नत्थूराम पुत्र लालाराम पौत्र महादेवा जाति माली
14. अशोक पुत्र लालाराम पौत्र महादेवा जाति माली
15. सुगनी बेवा लालाराम पुत्रवधु महादेवा जाति माली
    निवासियान मालियो की ढाणी तन खेड़ा तहसील बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज.
16. सिंगारी पुत्री लालाराम पत्नी रामस्वरूप जाति माली

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

17. खामोश पुत्री लालाराम पत्नी सुरेश जाति माली निवासियान मालियो की ढाणी तन खेड़ा तहसील बानेसूर हाल निवासी दादूका, राजनौता जिला कोटपूतली–बहरोड़
18. तारा देवी पत्नी बलवीर जाति माली निवासी मालियो की ढाणी तन खेडा तहसील बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड़
19. श्रीमान तहसीलदार साहब बानसूर बहैसियत लैण्ड होल्डर तह. बानसूर जिला अलवर राज.

असल रेस्पोडेन्टान

अपील विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 835 दर्ज दिनांक 06.09.24 ग्राम मंडिजा बसई पटवार मण्डल गिरुड़ी तह. बानसूर जिला कोटपूतली बहरोड़ तस्दीक द्वारा तहसीलदार बानसूर फैसला दिनांक 09.09.2024

उपस्थितः–
अपीलाण्टस वकील– श्री गजानन्द सैनी।
रेस्पोडेन्टस वकील–श्री अनिल गुप्ता।

निर्णय

दिनांकः–10/6/25

1. यह कि अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टान एक ही संयुक्त हिन्दू मुस्तरका परिवार के सदस्य है, जो मृतक रामस्हाय उर्फ रामहाय के काबिज जायज वारिसान है जिनका पारिवारिक सजरा निम्नानुसार है:–

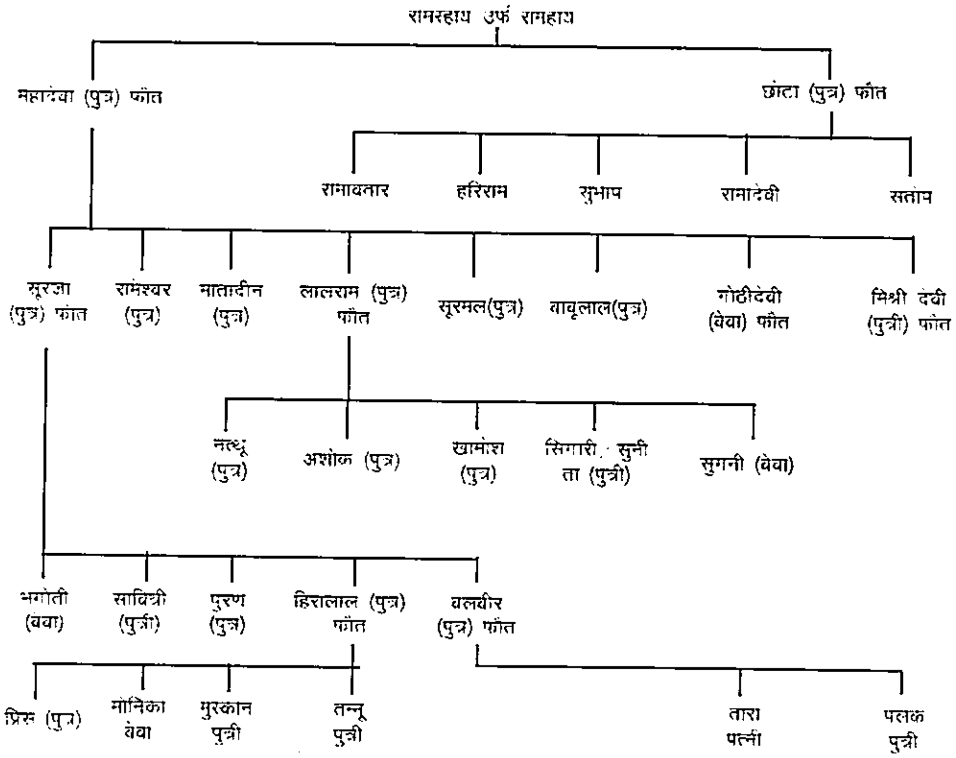

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

2. यह कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टान की सामुहिक पैट्टिक सामलाती आराजी जो कि सारणी में अंकित है विवादित आराजी है जिसको दौराने कार्यवाही बन्दोबस्त विभाग के राजस्व कर्मचारियो द्वारा संवत 2060 व 2021 में निम्नानुसार कायम किये है :–

हाल खसरा न0	रकबा (हैक्टेयर)	साबिक खसरा न0 संवत् 2060	रकबा बीघा–बीसवा	गत सागिक खसरा न. संवत् 2021	रकबा बीघा–बिस्वा
40	1.15	36	4–11	01 मि.	52–10
51	0.10				
52	0.17	487/37	4–19		
53	0.98				
वर्तमान बाद विभाजन					
857/53	0.5400				
858/53	0.5040				
859/55	0.0360				

3. यह कि विवादित आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत कब्जे काश्त खातेदारी से प्राप्त हुई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार कब्जा काश्त खातेदारी देते समय संवत 2012 की खसरा गिरदावरी (राजस्व वार्षिक अभिलेख) को ही आधार मानकर खातेदारी दी गई थी, जिसमें से मकबूजे सरकार रकबा रकबा 27 बीघा 10 बिस्वा, रामस्हाय उर्फ रामहाय रकबा 02 बीघा, उमराव रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा, मांग्या रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा, रूड़ा रकबा 04 बीघा, नारायण रकबा 14 बीघा इस प्रकार कुल रकबा 52 बीघा 10 बिस्वा पर कब्जे काश्त खातेदारी रही है एवं खसरा गिरदावरी संवत 2011 लगा. 2014 के अनुसार ही संवत 2012 को आधार मानकर जमाबन्दी में खातेदारी दर्ज की गई थी। लेकिन उपरोक्त सभी को खातेदारी दे दी गई। लेकिन राजस्व कर्मचारियो ने खसरा गिरदावरी के अनुसार जमाबन्दी में अंकन ना कर वादीगण/अपीलान्ट व असल प्रतिवादी/रेस्पोडेन्टान सख्या 01 लगा. 18 के पिता/दादा रामस्हाय के नाम खातेदारी ना देकर ७ उसके बड़े पुत्र महादेवा के नाम खातेदारी जमाबन्दी संवत 2014–17 में अंकित कर दी गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार संवत 2011–14 की खसरा गिरदावरी के अनुसार ही संवत 2014–17 में खातेदारी दर्ज करनी चाहिए थी लेकिन राजस्व कर्मचारियो ने ऐसा नही किया और रामस्हाय के एक पुत्र महोदवा के नाम ही सम्पूर्ण आराजी दर्ज कर दी, जो साबिक जमाबन्दी संवत 2014–17 व 2015–18 में गलत तरीके से खिलाफ कानून व खिलाफ कब्जा मौका है, उसी आधार पर खिलाफ कानून व खिलाफ कब्जा मौका बन्दोबस्त सम्वत 2021 रेस्पोडेन्टान संख्या 01 लगा. 18 के पिता/दादा महादेवा अकेले के नाम गलत दर्ज कर दी गई। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है। राजस्व विभाग के कर्मचारियो द्वारा रामहाय उर्फ रामस्हाय के नाम खातेदारी ना देकर रामस्हाय उर्फ रामहाय के अकेले पुत्र महादेवा के नाम दर्ज कर दी गई, जबकि रामसहाय के दो पुत्र महादेवा एवं छोटा था लेकिन अकेले महादेवा के नाम विवादित आराजी दर्ज रिकार्ड होने के कारण महादेवा के बाद उसके विधिक वारीसान रेस्पोडेन्टान के नाम दर्ज हो गई जिसकी जानकारी होने पर उक्त विवादित आराजी के

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

सम्बन्ध में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टान के मध्य एक राजस्व वाद न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय बानसूर के समक्ष वर्ष 2007 से बउनवान छोटा बनाम सूरजा के नाम से विचाराधीन है। उक्त वाद में अपीलान्ट मुताबिक कब्जा मौका मुताबिक कानून विवादित आराजी में 1/2 हिस्सा की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। जिसमें आगामी पेशी दिनांक 25.11.2024 साक्ष्य वादी हेतु नियत है।

4. यह कि उक्त विवादित आराजी के अलावा अन्य आराजीयात भी अकेले महादेवा के नाम दर्ज हो गई थी जो आराजी वाके ग्राम खेडा में स्थित थी जिसका न्यायालय सहायक कलक्टर महोदय के यहाँ वाद दायर किया गया था, जिसमें न्यायालय ने वादी/अपीलान्ट छोटा के पक्ष में खातेदारी दर्ज करने का आदेश दिया गया था, जिसके आधार पर वादी अन्य आराजी में तो खातेदार दर्ज हो गया किन्तु उक्त विचाराधीन वाद में आज दिन तक फैसल नहीं होने के कारण वादी जमाबन्दी में रिकार्डेड खातेदार दर्ज नही हो पाया है। लेकिन उससे पूर्व ही दावा विचारण के दौरान ही रेस्पोडेन्टान तहसीलदार बानसूर से साज बाज होकर सामझौता के आधार पर विधि विरुद्ध जाकर उक्त आराजी के बटवारा दर्ज करवा कर इंतकाल संख्या 835 फैसला दिनांक 09.09.2024 विना अपीलान्ट को सूचित किये बिना कब्जा मौका देखे विना अपीलान्ट को सनवाई का समुचित अवसर दिये उक्त नामान्तकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा तस्दीक कर दिया गया जिसके विरूद्ध अपील निम्न भांति प्रस्तुत हैः–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 835 मंडिजा बसई विधि विरुद्ध व न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।
2. यह कि नामान्तकरण संख्या 835 ग्राम मंडिजा बसई समझौता विभाजन पत्र बिना कब्जा मौका के पटवारी हल्का ने जानबूझकर अपीलान्ट की जानकारी के बिना कब्जा मौका की जाँच के बिना तस्दीक करवाया जो विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।
3. यह कि नामान्तकरण संख्या 835 ग्राम मंडिजा बसई रेस्पोडेन्टान संख्या 01 लगा. 18 ने रेस्पोडेन्टान संख्या 19 से दौराने विचारण वाद तस्दीक करवाया है जो कानून अवैध है। रेस्पोडेन्टान को अपीलान्ट की पैत्रिक आराजी का विभाजन करने का कोई हक व अधिकार हासिल नही है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध कानून के विपरित जाकर खातेदारी का विभाजन का नामान्तकरण तस्दीक कर भारी भूल की है। जो खारिज किये जाने योग्य है।
4. यह कि जैर अपील वाके मौजा मंडिजा बसई तहसील बानसूर की आराजी खसरा नम्बर 40 रकबा 1.15 हैक्टेयर, 51 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 52 रकबा 0.17 हैक्टेयर, 53 रकबा 0.98 हैक्टेयर को विभाजन कर नये नम्बर 857/53 रकबा 0.54 हैक्टेयर 858/53 रकबा 0.5040 हैक्टेयर, 859/53 रकबा 0.0360 हैक्टेयर वाके मौजा मंडिजा बसई तहसील बानसूर कायम किये गये है, जो समझौता के आधार पर इन्तकाल सख्या 835 का फैसला मातहत अदालत तहसीलदार बानसूर द्वारा दिनांक 09.09.2024 को किया गया। जो वाद विचारण के दौरान किया गया है, इसलिए वाद विचारण तक उक्त विभाजन कानूनन खिलाफ है, जिसे मनसुख किये जाने योग्य है।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

5. यह कि विवादित आराजी का बटवारानामा कर नये नम्बर कायम कर रेस्पोडेन्टान उक्त विवादित आराजी को भू–माफियाओ को बेचान कर विवादित आराजी से अपीलान्ट को बेदखल कर खुर्द बुर्द कर देना चाहते है। ऐसे में उक्त नामान्तकरण कायम रहने से अपीलान्ट का करीबन 16 साल से विचाराधीन वाद का कोई ओचित्य नही रहेगा और वाद की बाहुल्ता बढेगी ऐसे में अपील स्वीकार कर इतंकाल मनसुख किये जाने योग्य है।

6. यह कि विवादित आराजी जिला अस्पताल के नजदीक की आराजी है जिसपर भू–माफियाओ की नजर है जमीनो के भाव आसमान छू रहे है ऐसे में दावा विचारण के दौरान ही रेस्पोडेन्टान/प्रतिवादीगण उक्त आराजी को बेचान कर मोटे रूपये प्राप्त कर लेना चाहते है। जिससे अपीलान्ट मुकदमें बाजी में ही उलझा रहे ऐसे में अपील स्वीकार कर इंतकाल मनसुख किये जाना न्यायोचित है।

7. यह कि विचाराधीन वाद में श्रीमान तहसीलदार पक्षकार है जिसको विवादित आराजी के सम्बन्ध में पूरी जानकारी है तथा रेस्पोडेन्टान को भी वाद की जानकारी है एवं वाद में पक्षकार है, यह जानते हुये कि उक्त भूमि विवादित है एवं वाद विचाराधीन है ऐसे में कानून की परवाह किये बिना कानून के साथ खिलावाड करते हुये रेस्पोडेन्टान एवं तहसीलदार व पटवारी आपस में साज बाज होकर विभाजन नामान्तकरण संख्या 835 दिनांक 09.09.2024 स्वीकार कर नये नम्बर कायम कर दिये गये। ऐसा करने का राजस्व कर्मचारियो को कोई अधिकार नही है लेकिन अपीलान्ट को नुकसान पहुँचाने के आश्य से व रेस्पोडेन्टान को विवादित आराजी में लाभ प्रदान करने के आश्य से यह कृत्य किया है, भू–माफिया उक्त आराजी से अपीलान्ट को बेदखल करने पर उतारू हो रहे है। उपरोक्त नामान्तकरण से अपीलान्ट के हित प्रभावित हो रहे है, इसलिए अपीलान्ट ने नामान्तकरण संख्या 835 दिनांक 09.09.2024 के विरूद्ध अपील पेश करने हेतु न्यायालय श्रीमान के समक्ष इजाजत हेतु अलग से प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत किया है।

8. यह कि मुताबिक राजस्व कानून किसी भी आराजी के संबंध में यदि विचाराधीन वाद एवं विवादित आराजी है तो ऐसे में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर बटवारा या कनवर्जन नही किया जा सकता है। इसलिए भी नामान्तकरण संख्या 835 निर्णय दिनांक 09.09. 2024 काबिले निरस्त है।

9. यह कि शेष वजूहात वर वक्त बहस अज कर दिये जावेगें।

5. यह कि फैसला दिनांक 09.09.2024 इन्तकाल संख्या 835 मातहत अदालत तहसीलदार बानसूर द्वारा किया गया है जो न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण न्यायालय श्रीमान को अपील की सुनवाई करनें का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

6. यह कि दिनांक 05.11.2024 को रेस्पोडेन्टान, भू–माफिया के साथ मौके पर आये और अपीलान्ट को धमकी दी कि विवादित आराजी का हमने बटवारानामा करवा लिया है, इसे खाली कर दो, जिसपर अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरण की जानकारी हुई, जिसके बाद अपीलान्ट ने प्रमाणित नकल प्राप्त की और कानूनी सलाह लेकर बिना किसी देरी के अपील पेश की जा रही है। जो अन्दर मियाद पेश है। अपील में हुई देरी के लिए प्रार्थना पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम अलग से पेश है।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली–बहरोड़)

7. यह कि अपील हाजा पर कोर्ट फीस 2/— रूपयें तथा नियमानुसार तलबाना पेंश है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जाकर इंतकाल संख्या 835 तहरीर दिनांक 06.09.2024 ग्राम पंचायत मंडिजा बसई पटवार हल्का गिरूड़ी तहसीलदार बानसूर फैसला दिनांक 09.09.2024 को खारिज किये जाने की कृपा करे।

8. अपील जरिये वकील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को तल्बी हेतु नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्टस संख्या 1,2,3,9,13 व 15 की ओर से अधिवक्ता श्री जोगेन्द्र बंसल ने वकालतनामा पेश किया गया। वकील अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र ऑर्डर 41 रूल्स 27 सीपीसी पेश किया। रेस्पोडेन्ट वकील द्वारा कोई ऐतराज नहीं करने पर प्रार्थना पत्र ऑर्डर 41 रूल्स 27 सीपीसी स्वीकार किया गया। बाद में रेस्पोडेन्टस की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल चौधरी एवं श्री अनिल गुप्ता उपस्थित आये। सर्वप्रथम वकील उभयपक्ष को मियाद प्रार्थना दफा 5 एवं प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी पर सुना गया। प्रार्थना पत्र मियाद प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील पर उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई।

9. अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टान एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं, जो मूल मृतक रामस्हाय उर्फ रामहाय के जायज वारिसान हैं। रामस्हाय उर्फ रामहाय के दो पुत्र हुये एक तो महादेवा व दूसरा छोटा जो की अपीलान्ट हैं। प्रकरण में विवादीत आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत कब्जे काश्त खातेदारी प्राप्त हुई है जो संवत 2012 की खसरा गिरदावरी को आधार मानकर खातेदारी दी गई थी, जिसमें से मकबूजे सरकार रकबा 27 बीघा 10 बिस्वा, में से रामस्हाय उर्फ रामहाय 02 बीघा व शेष अन्य के खातेदारी रही है एवं खसरा गिरदावरी सम्वत 2011 लगायत 2014 के अनुसार ही सम्वत 2012 को आधार मानकर जमाबन्दी में खातेदारी दर्ज की गई थी। लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने खसरा गिरदावरी के अनुसार जमाबन्दी में अंकन ना कर वादीगण/अपीलान्ट व असल प्रतिवादी/रेस्पोडेन्टान संख्या 01 लगायत 18 के बुर्जगान रामसहाय के नाम खातेदारी ना देकर उसके बडे पुत्र महादेवा के नाम खातेदारी जमाबन्दी सम्वत 2014—17 में अंकित कर दी गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार सम्वत 2011—14 की खसरा गिरदावरी के अनुसार ही सम्वत 2014—17 मे खातेदारी दर्ज करनी चाहिये थी लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने ऐसा नही किया और रामस्हाय के एक पुत्र महादेवा के नाम सम्पूर्ण आराजी दर्ज कर दी, जो कि न्याय संगत नही है। इस विवादित भूमि के संबंध में वर्ष 2007 से ही उपखण्ड अधिकारी, बानसूर के समक्ष विभाजन एवं खातेदारी 1/2 हिस्से हेतु एक राजस्व वाद छोटा बनाम सूरजा विचाराधीन है, जो वर्तमान में साक्ष्य हेतु नियत है। उक्त विवादित आराजी के अलावा अन्य आराजीयात भी अकेले महादेवा के नाम दर्ज हो गई थी जो आराजी वाके ग्राम खेड़ा में स्थित थी जिसका न्यायालय सहायक कलक्टर द्वारा वादी/अपीलान्ट के पक्ष मे खातेदारी दर्ज करने का आदेश दिया गया था। इसके आधार पर वादी अन्य आराजी में तो खातेदार दर्ज हो गया किन्तु उक्त विचाराधीन वाद में आज दिन तक फैसले नही होने के कारण वादी जमाबन्दी में रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज नही हो पाया है। उपखण्ड अधिकारी के लंबित रहने के दौरान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बानसूर ने बिना

अति. जिला कलक्टर
...-बह...

अपीलान्ट्स को सूचना दिए और बिना सुनवाई का अवसर दिए, रेस्पोडेन्टान के मध्य कथित आपसी बटवारानामा के आधार पर आनन-फानन में नामान्तकरण संख्या 835 तस्दीक कर दिया, जो पूरी तरह से विधि-विरुद्ध है। जब सक्षम न्यायालय SDO बानसूर के समक्ष भूमि का मालिकाना हक और विभाजन का मुख्य वाद विचाराधीन हो, तब तहसीलदार को बटवारानामा के आधार पर म्यूटेशन दर्ज कर नए खसरा नंबर सृजित करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। ऐसा करने से संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने और बहु-मुकदमेबाजी को बढ़ावा देने की आशंका उत्पन्न हो गई है। अतः तहसीलदार द्वारा दर्ज नामान्तकरण संख्या 835 दिनांक 06.09.2024 ग्राम मंडिजा बसई पटवार हल्का गिरूड़ी तहसीलदार बानसूर फैसला दिनांक 09.09.2024 को खारिज किये जाने की कृपा करे।

10. वकील रेस्पोडेन्टस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया नामान्तकरण रिकॉर्ड के आधार पर नियमानुसार किया गया है। अपीलान्ट जमांबदी में रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज रिकॉर्ड नही है। कृषि भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 53 के तहत विभाजन/बंटवारानामा रिकॉर्डेड खातेदारों के बीच किया जाता है इस प्रकार अपीलान्ट को कोई सुनवाई का अधिकार नही बनता है। केवल खातेदार के मध्य हुये बंटवारानामा के अनुसार तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण दर्ज किया गया है। नामांतरण की कार्यवाही एक सरसरी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य केवल और केवल मूल आदेश या पंजीकृत विलेख के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड को अद्यतन करना है। अपीलान्ट द्वारा उक्त बंटवारानामा के खिलाफ किसी भी सक्षम अपीलीय न्यायालय में कोई अपील दर्ज नहीं की गई है और न ही किसी न्यायालय द्वारा इस पर कोई स्थगन आदेश पारित किया गया है। जब मूल आदेश को किसी अपीलीय न्यायालय द्वारा चुनौती नहीं दी गई है, तो वह आदेश कानून की नजर में अंतिम और बाध्यकारी होता है और राजस्व अधिकारीयों का यह कर्तव्य है कि वे उसके आधार पर नामांतरण दर्ज करें। अपीलान्ट द्वारा यह भी कथन किया गया है कि सम्वत 2011 की जमाबंदी में उनके बुर्जगान का नाम था उस आधार पर खातेदारी हेतु उपखण्ड न्यायालय में दावा विचाराधीन है लेकिन आज दिनांक तक उक्त विवादीत आराजी पर न्यायालय का कोई स्थगन विचाराधीन नही है। इंतकाल दर्ज करते समय किसी कोर्ट का कोई स्थगन नही था इसलिए इंतकाल दर्ज हुआ है अतः उपरोक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील खारीज फरमावें।

उभयपक्ष के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। कानून के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार नामांतकरण की कार्यवाही एक सरसरी प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल वर्तमान रिकॉर्डेड खातेदारों के आधार पर रिकॉर्ड को अद्यतन करना है। नामांतरण से न तो किसी नए मालिकाना हक का सृजन होता है और न ही किसी का हक समाप्त होता है। अपीलार्थीगण ने वर्ष 2007 से उपखण्ड न्यायालय में वाद लंबित होने के उपरान्त भी, विगत 17 वर्षों में उन्होंने उक्त भूमि के संबंध में कोई स्थगन आदेश प्राप्त नहीं किया। कानूनन मात्र किसी न्यायालय में वाद लंबित होने से अधीनस्थ राजस्व प्राधिकारियों के नियमित कार्यों पर तब तक रोक नहीं लगती, जब तक कि सक्षम न्यायालय का कोई स्पष्ट निषेधाज्ञा न हो। अपीलार्थी के 1/2 हिस्से की खातेदारी का दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

बानसूर के समक्ष विचाराधीन है। तहसीलदार को खातेदारी निर्धारण करने का अधिकार नहीं है। चूंकि वर्तमान जमाबंदी में रेस्पोडेन्टस ही खातेदार दर्ज है। अतः उनके आपसी विभाजन के आधार पर किया गया नामांतकरण सही है। उपखण्ड न्यायालय बानसूर का जो भी अंतिम निर्णय होगा, उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड पर अंकन होगा। जहाँ सक्षम न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी न हो, वहाँ राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज मौजूदा खातेदारों के आपसी बंटवारे के आधार पर नामांतकरण दर्ज करने से तहसीलदार को रोका नहीं जा सकता। नामांतकरण केवल सरसरी प्रक्रिया है जो कि वितिय उद्देश्यों के लिए होता है। उपरोक्त विवेचन और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बानसूर द्वारा पारित नामांतरण आदेश दिनांक 09.09.2024 में कोई त्रुटि या क्षेत्राधिकार का उल्लंघन प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 10-6-26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटपूतली-बहरोड़